संख्या-49/2016-1059 /चौदह-4-2016-500(23) /2014

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 10 जून, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में उ0प्र0 पार्टिसिपेटरी फारेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिवियेशन प्रोजेक्ट (जे0बी0आई0सी0 सहायतित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराश रू0 3527.20 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0लखनऊ के पत्र सं0-पी- 1278/36-टी-84(जे0वी0आई0सी0) दिनांक 11.04.2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत उ0प्र0 पार्टिसिपेटरी फारेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिवियेशन प्रोजेक्ट (जे0वी0आई0सी0 सहायतित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 3527.20 लाख (रू0 पैंतीस करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि(रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय-	
97-बाह्य सहायतित योजनायें-	
9701-उ0प्र0 पार्टिसिपेट्री फॉरेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट (जे0बी0आई0सी0सहायतित)-	
24-वृहत निर्माण कार्य	352720
योग:-	**352720**

(रू0 पैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख बीस हजार मात्र)

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा। व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

2- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फारेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिवियेशन प्रोजेक्ट जे0बी0आई0सी0 सहायता/ ऋण की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा योजना हेतु संस्था के दिशा- निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर ही किया जायेगा तथा अनुमोदित कार्यों में किसी भी प्रकार विचलन नहीं किया जायेगा।

5- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबधी निर्देशों तथा समय-समय निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी/1278/-36टी-84 (जे0वी0आई0सी0) दिनांक 11.04.2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाया।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ कि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जनपदवार/प्रभागवार कार्यमदों का विवरण शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। अवमुक्त धनराशि का उपोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1के कार्यालय ज्ञाप संख्या/2016/1-बी/746-1-दस-2016-2016/231दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचि

संख्या-1059 (1)/चौदह-4-2016-500(23) /2014 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य परियोजना निदेशक जे0बी0आई0सी0 परियेाजना उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-3
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
11- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in